UPMB010024472022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0–2016)महोबा

जमानत प्रार्थनापत्र/कम्प्यूटर सं0 1181/2022

रघुवर पुत्र श्री राधाचरन निवासी ग्राम बम्हौरी खुर्द थाना चरखारी जिला महोबा।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश .....विपक्षी।

अपराध सं0 1441/2007
धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज
विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986
थाना चरखारी, जिला महोबा।

दिनांक–17.10.2022

यह जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त रघुवर की ओर से मु0अ0सं0–1441/2007 अन्तर्गत धारा–3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना–चरखारी, जिला महोबा में जमानत हेतु मय शपथ–पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परीशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया कि अभियुक्त उक्त मुकदमें से पूर्व से जमानत पर है। प्रार्थी एक गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है परिवार का भरण पोषण करने हेतु बाहर चला गया था। प्रार्थी को समय से मजदूरी का पैसा न मिल पाने के कारण प्रार्थी परिस्थितियांवश न्यायालय में तारीखों पर नहीं आ सका, न ही अपने अधिवक्ता को सूचित कर सका जिस कारण माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध एनबीडब्लू वारण्ट जारी कर दिया गया। प्रार्थी ने जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित होने में कोई गलती नहीं की है, न ही किसी प्रकार से जमानत का दुरूपयोग किया है न ही ऐसा कभी भविष्य में करेगा। प्रार्थी जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त ने जमानत की प्रार्थना की है।

विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुये बिंदुवार आख्या प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि याची को पुनः जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुनः फरार हो जायेगा।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मामलें में पूर्व से जमानत पर है उसके विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण गैर जमानतीय वारण्ट

जारी किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त जिला उपकारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी मजूदरी करने हेतु बाहर चला गया था जिस कारण वह न्यायालय उपस्थित नहीं हो सका।

अतः मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत में जमानत स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदानुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त रघुवर का उपरोक्त वाद में जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुब0 1,00,000/–(एक लाख रूपये) की दो जमानतें तथा इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है। अभियुक्त रघुवर इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करेगा कि वह प्रत्येक दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

दिनांक 17.10.2022

विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम),/
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0–2016)
महोबा

Digitally signed by
Avanish Kumar Rai
Date: 2022.10.18
11:30:12 IST
Reason: Document
Owner
Location: District and
Sessions Court